



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227170
CG-DL-E-25052021-227170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943

No. 276]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

सा.का.नि. 342(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्ररूप, जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100 (अ) द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2021 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को 5 फरवरी, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125अ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“125ज. ए6 और ए7 प्रवर्ग के इलैक्ट्रिक पावर ट्रेन कृषि ट्रैक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं – ए6 और ए7 प्रवर्ग के इलैक्ट्रिक पावर ट्रेन कृषि ट्रैक्टर, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 168:2021 की अपेक्षाओं के अनुरूप तब तक होंगे जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्समान भारतीय मानक विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”।

[फा. सं. आरटी-11036/11/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 336 (अ) तारीख 4 मई, 2021 द्वारा अंतिम रूप में संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

G.S.R. 342(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R 100(E), dated the 5th February, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 5th February, 2021;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 125-I, the following rule shall be inserted, namely:—

“125 J. Specific requirements for A6 and A7 category Electric Power Train Agricultural Tractors.—Electric Power Train Agricultural Tractors of category A6 and A7, shall conform to the requirements of AIS 168:2021, as amended from time to time, till such time as corresponding Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

[F.No. RT-11036/11/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 336(E) dated the 4th May, 2021.